न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No. 2022/364
दायरा तिथि : 11.10.2022
आदेश दिनांक : 25-01-2023

प्रार्थी :–
शम्भूसिंह पुत्र श्री जयसिंहजी जाति राजपुत
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री भरत जे. राठौड ..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार, बाली .....पैरोकार सरकार

दिनांक : 25-01-2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्व अप्रार्थी पेश कर ग्राम बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1759 रकबा 0.08 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि ग्राम बिसलपुर स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 680 मीन पर प्रार्थी के पिता व दादा के समय से संवत् 2022 से पहले से कब्जा चला आरहा है। जिस भूमि पर पक्का कमरा व वाडा बना हुआ है तथा कृषि व कृषि से सबंधित औजार घास व साधन पडे रहते है तथा मवेशी के निवास के लिये ढालीया रहवास के रूप में बना हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पुराना पुश्तैनी कब्जा होते हुये तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का, बिसलपुर प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कर जुर्माना आरोपित करते है व बेदखली की धमकी देते है जबकि प्रार्थी पुश्तैनी कब्जे अनुसार विधि प्रावधानो के अनुसार खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी हो चुका है। जिससे प्रार्थी ने घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी बिसपलुर के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर के सबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्न दस्तावेज पेश किये गयेः–

1. धारा 91 के नोटिस 18
2. जुर्माना रसीद कुल 6
3. खसरा परिवर्तनशील
4. मिलान क्षैत्रफल
5. खसरा परिवर्तनशील कुल 03
6. जमाबंदी संवत् 2072 की प्रति
7. नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति
8. नोटिस की प्रति
9. फोटो ग्राफ दो
10. धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की प्राप्ति स्वीकृति रसीद
11. डाक घर रसीद की प्रति

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील के पश्चात् वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने जवाब पेश करने के लिये समय चाहा। जिससे उभय पक्ष वकुलाय की टी.आई प्रार्थना पत्र पर बहस सनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने तथा अपुरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

इसके विपरित अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 5.55 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजकीय सिवाय चक दर्ज है। राजकीय सिवाय चक भूमि पर किसी व्यकित का अतिक्रमण होने पर तहसीलदार नियमानुसार धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बेदखल करने का अधिकारी है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला व अपुरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र T.I. खारिज किये जाने की दलील दी। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला बनना:-

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने का आधार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति हो सकते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अभिकथनो के अनुसार वादग्रस्त भूमि बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 5.55 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजकीय सिवाय चक भूमि है तथा गत् खसरा नंबर 680 मीन भी राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज थी। प्रार्थी अपने अभिकथनो में भी भूमि राजकीय सिवाय चक होने के तथ्य को स्वीकार करता है। पत्रावली पर प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार वर्णित भूमि राजकीय सिवाय चक होने से तथा प्रार्थी का वर्णित भूमि पर अतिक्रमण होने से अप्रार्थी तहसीलदार, बाली राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखली की कार्यवाही करने के लिये अधिकारी है। भूमि अधिकार अभिलेखों में राजकीय सिवाच चक दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में बनता है न कि प्रार्थी के पक्ष में। प्रार्थी तो बतौर अतिक्रमी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में बनता है। जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन:-

प्रार्थी द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो व प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यो से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि वादगस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 5.55 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में संवत् 2022 से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1759 रकबा 0.08 हैक्टर राजकीय सिवाय चक भूमि पर कब्जा होने के तथ्य प्रकट करते हुये संवत् 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2079 के धारा 91 के नोटिसो की प्रतियॉ तथा संवत् 2027, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033 के वर्षो में बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 पर कब्जा होने की पुष्टि में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियॉ तथा गत् खसरा नंबर 680 मी. के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 5.55 हैक्टर बनने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रति तथा बिसपलुर के हाल खसरा नंबर 1759 पर संवत् 2071, 2073, 2074 के वर्षो में प्रार्थी का कब्जा होने की पुष्टि में इन वर्षो के खसरा परिवर्तनशील की प्रतियॉ पेश की। तथा इन प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा होना वर्णित कर खातेदारी घोषणा व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजुद वाद जारी रहेगा, यदि साक्ष्यो आदि के द्वारा वादी का वाद डिक्री हो जाता है तो उसे चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जावेगा। इसके विपरित यदि प्रार्थी के आवेदन पत्र पर राजकीय सिवायचक भूमि पर यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे राज्य सरकार को सिवायचक भूमि से प्राप्त होने वाली राजस्व आय से तो वंचित होना पडेगा तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर इसका प्रभाव वाद में भी होगा जिससे प्रतिवादी के हितो पर विपरित प्रभाव पडेगा। जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति :-

बिन्दु संख्या 01 व 02 में किये विवेचन से प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 मी. तथा हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 5.55 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजकीय सिवाय चक भूमि है। जिस भूमि पर प्रार्थी का बतौर अतिक्रमी ही विभिन्न वर्षो में कब्जा रहा है। प्रार्थी ने अपने कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होता है, तो वाद कार्यवाही जारी रहेगी, जिसमें साक्ष्यो आदि के माध्यम से यदि वाद प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हो जाता है तो प्रार्थी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जावेगा। इसके विपरित यदि राजकीय सिवाय चक भूमि के सबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अप्रार्थी राजस्थान सरकार को राजकीय सिवायचक भूमि से प्राप्त होने वाली राजस्व आय से वंचित होना पडेगा।

पेज लगातार..... 03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/364

अनवान शम्भूसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पीसी.

इस प्रकार यह प्रमाणित है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार होगा अथवा नहीं ? इसका विनिश्यन वाद के निर्णय से ही किया जायेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होना साबित नहीं है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ की कसौटी पर प्रार्थी का प्रकरण खरा नहीं उतरने से प्रार्थी द्वारा ग्राम बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1759 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर के सबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा धारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल राजस्व वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री ... आई.ए.एस.)
बाली,जिला-पाली (राज)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 25-01-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner